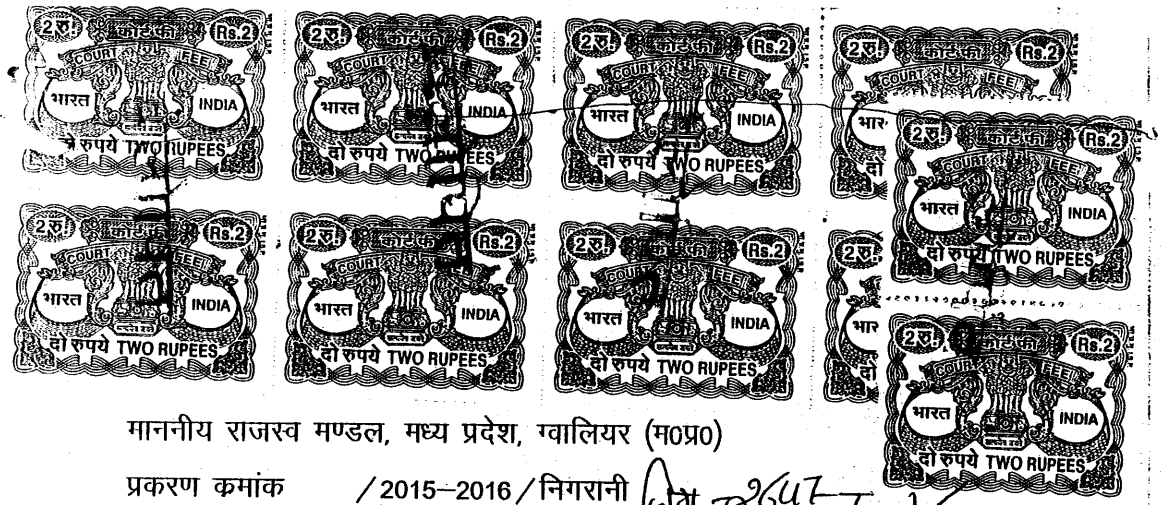

माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक /2015–2016/निगरानी नि0 2647-I-16

श्री सौरभ जैन एड. द्वारा आज दि. 2-8-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-8-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री पुरूषोत्तम सिंह जाति ठाकुर निवासी गुब्बारा फाटक, लोहिया बाजार, लश्कर ग्वालियर म0प्र0

2– श्रीमती राधारानी जादौन पत्नी श्री दिलीप सिंह सिकरवार पुत्री आनन्दसिंह जादौन निवासी चम्बल कॉलोनी, बडौदा, श्योपुर, जिला श्योपुर म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर (म0प्र0)

––– अनावेदक

2– कल्याणीबाई पुत्री गोपालदास

3– श्रीमती केशरबाई पत्नी गोपालदास निवासीगण फक्कड चौराहा, कुमारखेडी, श्योपुर जिला श्योपुर (म0प्र0)

––– तरतीवी अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50(2) मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 17–12–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/12–13/स्वनिगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>संक्षिप्त तथ्य</u>

1– यहकि, ग्राम मालीपुरा तहसील कराहल जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 200 रकवा 24 वीघा 5 विस्वा यानि 5.069 हेक्टर में से आध आधा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/2647/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6.12.17	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 02/12–13/अ–21 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–12–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम मालीपुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 200 जिसका पुराना सर्वे नम्बर 163 था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर समान भाग पर क्रय की थी। जिसके नामान्तरण हेतु तहसीलदार कराहल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसे तहसीलदार कराहल द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 13/09–10/ पर दर्ज कर आदेश दिनांक 23–10–2010 से आवेदकगणों के पक्ष में नामान्तरण स्वीकार किया। तहसीलदार कराहल के समक्ष ग्राम मालीपुरा के कुछ व्यक्तियों द्वारा सामुहित आपत्ति प्रस्तुत की गई कि ग्राम मालीपुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 200 जिसका पुराना सर्वे नम्बर 163 था। मंदिर की भूमि है जिसे गलत तरीके से पुजारी द्वारा अपने नाम करावकर आवेदकगणों को विक्रय कर दी गई है।	

	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की वैधता की जाँच के अधिकार न होने से उपरोक्त आपत्तियों को अमान्य कर नामान्तरण आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी कराहल द्वारा उक्त प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने का निवेदन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार कराहल का प्रकरण क्रमांक 13/09-10/अ-6 अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जाकर तहसीलदार कराहल द्वारा पारित नामान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा एक अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की जिसे चंबल संभाग मुरैना द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 104/16 अपील पर दर्ज कर आदेश दिनांक 21-07-2016 को अप्रील सुनने का अधिकार न होने से निरस्त कर दिया जिससे अपर कलेक्टर श्योपुर के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है। जिसका आज निराकरण किया जा रहा है। 3- निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के पक्ष सुने तथा	

आवेदकगण की ओर से उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4– आवेदकगणों के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया की आवेदकगण द्वारा वादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई है। विक्रय पत्र के आधार पर ही विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगणों के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर किये गये नामान्तरण को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को न होने से अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा पारित आलौच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादित भूमि को मंदिर की भूमि माना गया है जबकि वादित भूमि मंदिर की भूमि न होकर व्यक्तिगत भूमि थी। जिसे विक्रय करने का अधिकार विक्रेतागण को था। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय मुरैना का पत्र दिनांक 16–02–1979 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई जिसमें वादित भूमि मंदिर के नाम नहीं लगी है। ऐसा उल्लेख होना बताया गया। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वादित भूमि के खसरा पंचशाला सम्वत् 2023 में वादित भूमि गोपाल दास पुत्र रघुनाथ दास बैरागी के नाम अंकित है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादित भूमि मंदिर की भूमि न होकर व्यक्तिगत भूमि है अंत में उनका यह भी तर्क है। कि व्यवहार न्यायालयों द्वारा भी वादित भूमि को

व्यक्तिगत भूमि माना गया है। और अंत में समस्त तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5– मध्यप्रदेश शासन के शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया। तथा अनावेदक क्रमांक 02 व 03 को तरतीवी पक्षकार होने पर भी सूचना भेजी गई। पर सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

6– उभयपक्षों के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं उपलब्ध अभिलेख के क्रम में यह देखना है कि वादित भूमि मंदिर की भूमि है या नहीं मेरे द्वारा जिला न्यायाधीश श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 64/08/सी.एम.ए./में पारित आदेश दिनांक 05–11–2008 का अवलोकन किया गया। जिसकी कण्डिका 8 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कि **"सन् 1952 से अर्थात विगत करीब 57 वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर पहले गोपाल दास और बाद में उसके वैध वारिसों/वादिगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से ऐसा एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट हो सके की वादग्रस्त भूमि कभी**

भी रघुनाथ जी, गोपाल जी मंदिर की सम्पत्ति रही हो या राजस्व प्रपत्रों में इसका उल्लेख हो।'' इसके अलावा कलेक्टर मुरैना के वादित भूमि के संबंध में पारित आदेश 27-02-1976 एवं 06-02-1979 के संबंध में जारी पत्रों का अवलोकन किया गया। जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि मंदिर से लगी हुई भूमि नहीं है। वादित भूमि के पुराने सर्वे क्रमांक 163 एवं 164 मालीपुरा के मंदिर के नाम से बंदोबस्त खसरे में अंकित नहीं है। उन्हें मंदिर के नाम से करना उचित एवं संभंव नहीं है। उपरोक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित कर दिया। जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह भी है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर किये गये नामान्तरण को राजस्व न्यायालय को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। जबकि वादित भूमि के संबंध में जिला न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया था। तो जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालय पर बाध्यकारी था। ऐसी स्थिति में भूमि को मंदिर की सम्पत्ति मानकार नामान्तरण आदेश निरस्त किया गया है जो कि विधि विरुद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी

स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/2012-13/स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-12-2015 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदकगण का नाम ग्राम मालीपुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 200 पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पुनः राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार कराहल को दिये जाते है।

(एम०के० सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर